

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/202108/FTP/FATEHPUR/1320/CFO

दिनांक : 05-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स VANI INTERNATIONAL ACADEMY पता 371 AND 445, ALIPUR, CHAUDAGARA, BINDKI ROAD, FATEHPUR तहसील - BINDKI प्लॉट एरिया 10446.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3846.22 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 4 जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| BLOCK A    | 4                                 | 0                  | 13.50 mt. |
| BLOCK B    | 2                                 | 0                  | 7.30 mt.  |
| BLOCK C    | 3                                 | 0                  | 10.35 mt. |
| BLOCK D    | 2                                 | 0                  | 7.40 mt.  |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स VANI INTERNATIONAL ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 07-06-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VIRENDRA SINGH, Mob- 9415032648 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 08-06-2026 से 07-06-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स VANI INTERNATIONAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स VANI INTERNATIONAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : पूर्व में निर्गत श्री उमेश गौतम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 21.5.23 का नवीकरण शासन की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस नीति की तहत निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत हैं। 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में कार्यशीलता प्रमाण-पत्र इस विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें 2- अर्ह एजेन्सी से विद्युत सुरक्षा ऑडिट करा लें। 3- अतिरिक्त निर्माण/अधिभोग परिवर्तन करने से पूर्व अलग से स्वीकृति ली जाये। 4-नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की शर्तों तथा कभी भी अग्नि सुरक्षा मानकों की अवहेलना किए जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय। 6- अर्ह अभिकर्ता से ही फायर उपकरणों की वार्षिक मरम्मत कराये। 4-शा0 दि0 07.01.22 के अधीन निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-06-2026

स्थान : FATEHPUR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JASVEER SINGH

EDEEA6B633DD31351A44A1A468E0667BF859F193

08-06-2026

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.